

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1707/2012/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत्त-ए प्रतिकरापवंचन, आबू रोड़
बनाम्

.....अपीलार्थी.

मैसर्स फतेह मौहम्मद आयरन & स्टील वर्क्स
बी-33, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अरिजय जैन
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05.06.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 21/आरवैट/जेयूडी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-द्वितीय, आबूरोड़ द्वारा ट्रॉसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन सं. RJ19 GA 6642 से एस.एस.पाईप शीट्स का परिवहन अंधेरी, मुम्बई से जोधपुर के लिये किया जाना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी द्वारा मैसर्स अरिहन्त ट्रान्सपोर्ट कंपनी द्वारा जारी बिल, बिल्टी और वेट-47 संख्या 0909214 तथा परिवहनित माल का सम्पूर्ण विवरण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि वेट 47 दिनांक 21.04.2007 का जारी किया गया है, जो कि वक्त परिवहन कालातीत हो गया है। प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, एंटी-इवेजन, आबूरोड़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) को स्थानांतरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित करते हुए कि वेट-47 जारी होने से दो वर्ष की अवधि तक मान्य होने के कारण

दिनांक 06.10.2011 को चैंकिंग के समय विधि मान्य नहीं है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) सपटित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत रूपये 30,920/- की शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 02.11.2011 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट-47 को तकनीकी भूल मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 24.04.2012 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट-47 होना आवश्यक था। वक्त चैंकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट-47 पेश किया गया वह दिनांक 21.04.2007 को जारी किया हुआ था तथा यह प्रपत्र आगामी 2 वर्षों के लिये ही मान्य था। चूंकि उक्त प्रपत्र वेट-47 कालातीत हो गया था। अतः इसे विधि मान्य नहीं माना जा सकता। जैसाकि माननीय कर बोर्ड ने राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय में प्रतिपादित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे तकनीकी भूल मानकर आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की गई है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया गया।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। परिवहनित माल के साथ केवल अवधिपार वेट-47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। जो कि एक तकनीकी भूल थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में इसे तकनीकी भूल माना है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा **Tax Update 40 Pg 9, VAT reporter pg 154, STC 2000 Pg212, TAX Update 35 Pg 317, 124 STC Page 611, 6 TUD Page 84** आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा वैट 47 जारी करवाने के पश्चात निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद यदि अवधि पार वैट 47 प्रयोग में लाया जाता है तो उसका कर अपवंचना के उद्देश्य से क्या संबंध हो सकता है। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित नियम 2006 के नियम 53(9) के अनुसार यदि किसी व्यवहारी द्वारा वैट 47 का उपयोग किया जाता है तो उसका विवरण 30 दिवस की अवधि में वैट 48 में दिये जाने का प्रावधान है। नियम 53(11)(a) से (g) में विभिन्न Declaration Forms को प्राप्त करने एवं उनका विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। Declaration Form हेतु नियम 53(11)(b) के अनुसार वैट 16A में आवेदन करना पड़ता है जिसमें पूर्व में प्राप्त किये गये Forms का विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इस विधिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि यदि अवधि पार Form 47A प्रयोग भी किया है तो उसका विवरण या तो वैट 48 में प्रस्तुत करना पड़ता है नहीं तो वैट 16A में उसका विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 47A यदि विधिवत व दिनांक सहित भरा हुआ है तथा परिवहनित माल के साथ बिल्टी, बिल आदि दस्तावेज हैं तो कर अपवंचना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है कि इस प्रयोग में लाये गये वैट 47A का विवरण वैट 48 में तथा यदि खाली रखा जाता है तो वैट 16A में प्रस्तुत करना ही पड़ता। इस प्रकार प्रकरण में कर अपवंचना की सम्भावना नहीं होने के कारण सदभाविक त्रुटि मानी जा सकती है।
8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 06.10.2011 वाहन संख्या RJ19 GA 6642 को चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत किया जिसकी वैधता की अवधि 2 वर्ष 07.10.2011 तक की थी। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच वेट-47 कालातीत हो चुका था। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वेट-47 सम्पूर्ण भरा हुआ था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे बोगस या मिथ्या साबित नहीं किया गया। व्यवहारी ने बाद में वैट 47 प्रस्तुत भी कर दिया था जो विधिवत जारी एवं समय सीमा के अन्तर्गत था। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषण प्रपत्र वेट-47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।" राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन- द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। न्यायिक दृष्टांत **ACTO, AE, WARD II, BANSWARA VS. M/S J.M.C. PROJECTS(e) Ltd. Udaipur Tax Update 40 Pg 9**, विजयलक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा एवं अन्य **VAT reporter pg 154** तथा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे. पी. फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर **TAX Update 35 Pg. 317** में भी विवाद बिन्दु वर्तमान प्रकरण के समान निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया। इस प्रकार वेट-47 कालातीत होने के पश्चात् उसकी अवधि वैधानिक रूप से एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रावधान होने से अवधिपार वेट-47 के आधार पर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करने को विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं मानने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24.04.2012 की पुष्टि की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।

न.च.राम
(नत्थूराम)
सदस्य